देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल
रेफरेंस संख्या –2024/palm/03 E-Newsletter, Issued in Public Interest रविवार, 10 मार्च 2024

जयपुर पुलिस कमिश्नर की सख्ती!!

नहीं चलेगा रात 12 बजे बाद जयपुर मे कोई नाइट क्लब!!

बिना पहचान पत्र नहीं मिलेगी ग्राहकों को नाइट क्लबों मे एंट्री!!

नाइट क्लब संचालक को रखना पड़ेगा क्लब मे आने वाले ग्राहकों का रिकार्ड!!

क्लबों मे छोटे बच्चों और संदिग्धों की एंट्री की शिकायतों के चलते उठाना पड़ा यह कदम!!

जयपुर पुलिस कमिश्नर की सख्ती!!नहीं चलेगा रात 12 बजे बाद जयपुर मे कोई नाइट क्लब!!

शहर मे संचालित शराब की दुकानों और नाइट क्लबों पर सख्ती करते हुए पिछले दिनों जयपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा शराब की दुकानों को रात 8 बजे और नाइट क्लबों को रात 12 बजे तक बंद करवाने के आदेश जारी कर दिए|जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसफ द्वारा जारी आदेश मे इन नाइट क्लबों मे रात 10 बजे तक म्यूजिक बजाने की पाबंदी

कार्यालय पुलिस आयुक्त जयपुर

क्रमांकः– 257 दिनांक :– 06/3/24

1. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण,
   आयुक्तालय जयपुर
2. समस्त पुलिस थानाधिकारीगण,
   आयुक्तालय जयपुर

जयपुर शहर में कानून–व्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1 रात 08.00 बजे के पश्चात् शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें। यदि लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित थानाधिकारी के खिलाफ विभागीय जॉच की जायेगी।

2 नाईट क्लबों के संचालन को रात्रि 12.00 बजे तक सीमित रखें एवं इन क्लबों में ध्वनि प्रसारण यन्त्रों का संचालन रात्रि 10.00 बजे तक ही सीमित रखें। इन क्लबों में प्रवेश करने वाले ग्राहकों को प्रवेश देने के पूर्व उनके पहचान पत्र तस्दीक करके रजिस्टर में इंद्राज कराना सुनिश्चित करावें।

3 थड़ी–ठेले वालों के पहचान पत्र व चरित्र सत्यापन हेतु एक अभियान शीघ्र प्रारम्भ करें।

06/03

(बीजू जॉर्ज जोसफ)
पुलिस आयुक्त
जयपुर

प्रतिलिपिः– पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, आयुक्तालय जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

06/03

पुलिस आयुक्त
जयपुर

को जारी रखते हुए,इन सभी क्लबों मे आने वाले ग्राहकों को प्रवेश से पहले पहचान पत्र चैक करके रजिस्टर मे एंट्री करने के लिए भी पाबंद किया गया|जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसफ के अनुसार शहर मे जगह जगह देर रात शराब बेचने की सूचनाएं मिल रही थी साथ नाइट क्लबों मे छोटे बच्चे और संदिग्धों कोगो की एंट्री की लगातार शिकायतों के कारण यह आदेश जारी किए गए है|जयपुर कमिश्नर के अनुसार इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी|